

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायादालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रामलाल

बनाम

नन्दलाल

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 335/2020 / 540

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

7/06/20

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रामलाल

पिता श्री रोडा जी भीम

निवासी- खरडीबावडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम चित्तौड़ी (पन्ह. ऐराल) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 276 सी.

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.2800 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम चित्तौड़ी (पन्ह. ऐराल) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 276 सी.

कुल कीता 1 रकबा 0.2800 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500000 रुपये अक्षरे पन्च सा रब्यर प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर विनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

